अभिलेख उपस्थापित किया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। संबंधित रैयत अपने सबूती कागजात के साथ अनुपस्थित है। राजस्व उप निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। पुन: दिनांक 23/11/2020 के लिए नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 23/11/2020 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
कुरडेग

23/11/2020 अभिलेख उपस्थापित किया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। संबंधित पंजी-II रैयत अपने सबूती कागजात के साथ अनुपस्थित है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अवलोकन किया।

संबंधित राजस्व उप निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा डुमरडीह अंतर्गत खाता संख्या 258 खेसरा संख्या 2195, 2133 रकबा 2.01 एवं 2.99 कुल रकबा - 5.00 एकड़ भूमि खतियान में जंगल-झाड़ी के नाम से दर्ज है। जो कि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि के अंतर्गत आता है। उक्त भूमि का जमाबंदी संदेहास्पद है। उक्त भूमि का नियमितिकरण नहीं किया जा सकता है। अवैध/संदिग्ध जमाबंदी वाद संख्या 449/16-17 से संबंधित उक्त भूमि का जमाबंदी को विभागीय पत्रांक 6144/रा० राँची दिनांक 21/12/2017 एवं 1704/रा० दिनांक 15/07/2020 के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा रद्द करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

अत: संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर वाद संख्या 449/16-17 से संबंधित उक्त भूमि का संदिग्ध जमाबंदी को रद्द किया जाता है।

लेखापित

अंचल अधिकारी
कुरडेग।

अंचल अधिकारी,
कुरडेग।

23/11/2020

Digitally signed by KRISHNA MURARI TIRKEY
Date: 2021.06.17 12:41:13 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:4b6:d38c:e4c2:ac4e